प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपाल पुत्र श्री बहादुर निवासी जनपद-हमीरपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-02-05-2017) दिनांक-22-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपाल पुत्र श्री बहादुर, निवासी-उमरिया, थाना-जरिया, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। बन्दी की पत्नी के साथ गाली-गलौज व छेड-छाड से नाराज होकर बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.09.1979 को रात्रि लगभग 08:00 बजे बन्दूक] कुल्हाडी एवं लाठी से हमला कर हरी सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-262/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 15.11.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.1995 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.01.2017 तक 24 वर्ष 09 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष 07 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी की पत्नी के साथ गाली-गलौज व छेड-छाड से नाराज होकर बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.09.1979 को रात्रि लगभग 08:00 बजे बन्दूक, कुल्हाडी एवं लाठी से हमला कर हरी सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 01 व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा किये गये विरोध तथा मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर सिद्धदोष बन्दी कृपाल पुत्र श्री बहादुर को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कृपाल (बन्दी संख्या-132/2016) पुत्र श्री बहादुर जनपद-हमीरपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-762/2017/1136(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।